

गुजरी देवी

10/23

पञ्जावली पेश हुई। जहाँ अधिकांश
 तहसीलदार सरकार व उपस्थित
 रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसे शासित
 पञ्जावली किया गया। जहाँगण के
 अधिकता व पैरोकार सरकार की
 तहत सुनी गई। पञ्जावली का आयोग
 अधिनियम अवलोकन किया गया।
 जहाँगण का जर्नल पत्र राजस्थान
 सरकार की अधिनियम, 1955 की धारा
 251 A के तहत घोषणीय होने से
 स्वीकार किया जाता है। निर्णय
 पत्र से लिखा जाना शासित
 पञ्जावली है। तहसीलदार वेक्टर
 को पालना हेतु तहसील पारी
 है।

22
 10/14/23

पञ्जावली फैसल सुधार होकर वर्त
 नकार से कम की जाना वाञ्छित
 दफ्त है।

~~उपस्थित अधिकारी~~
 वेक्टर (राज०)